न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील डिक्री/4035/2004/हनुमानगढ़

1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार(राजस्व), भादरा जिला हनुमानगढ़।

----- अपीलांट्

–बनाम–

1– श्री गोशाला भादरा जरिये जगदीश प्रसाद पुत्र हरीराम जाति अग्रवाल (चाचाण), निवासी भादरा जिला हनुमानगढ़। अध्यक्ष गोशाला भादरा जिला हनुमानगढ़।

----- रेस्पोडेन्ट्

खण्ड पीठ
कमला अलारिया, सदस्य
गौरव बजाड़, सदस्य

उपस्थिति :–
(1) श्री शिशिर कुमार विजयवर्गीय, उप राजकीय अभिभाषक अपीलांट।
(2) श्री एन.के. गोयल, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट।

–निर्णय–

दिनांक :–11–02–2026

अपीलांट् द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ की अपील संख्या 23/2002 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18–12–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

2– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/रेस्पो0 की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर, नोहर मु0 भादरा के समक्ष वादग्रस्त आराजी का प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा कि चक 8 बी0एच0डी0 के पत्थर नं0 455/483 किला नं0 4 व 5 की 2 बीघा एवं पत्थर नं0 454/483 किला नं0 6 की 1 बीघा कुल 3 बीघा भूमि जिसको वादी द्वारा जरिये बयनामा दिनांक 19–02–1970 को खरीद की तथा वक्त खरीद से ही लगातार वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है। पूर्व में उक्त भूमि विक्रेता विश्वनाथ व रामेश्वर के कब्जे काश्त में थी। वर्तमान में उक्त भूमि चक 8 बी.एच.डी. के मु0नं0 11 किला नं0 4, 5, 6 कुल किता

3 बीघा आराजी राज सिवायचक काबिल काश्त दर्ज कर रखी है। अतः वादी को उक्त भूमि का खातेदार घोषित किया जावे। वादपत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया। प्रतिवादी की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर वादिया के वाद को खारिज किये जाने का निवेदन किया। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दावे एवं जवाब दावे के आधार पर उभयपक्ष की बहस सुनते हुए अपने निर्णय दिनांक 02–02–2002 से वादी का वाद डिक्री कर दिया गया। इसके विरूद्ध अपीलांट् सरकार द्वारा अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी। जिसमें अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 18–12–2003 से अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02–02–2002 को यथावत् रखा गया। इसी निर्णय दिनांक 18–12–2003 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा इस न्यायालय में यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है।

3– उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की अपील पर बहस सुनी गयी।

4– विद्वान उप राजकीय अभिभाषक अपीलांट् द्वारा अपनी बहस में तर्क दिये हैं कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकॉर्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। तहत न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया है कि वादी द्वारा ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की। जिससे साबित हो कि उक्त भूमि से ही मु0नं0 11 के किला नं0 4, 5 व 6 बने है। सिर्फ कयास के आधार पर दावा डिक्री किया गया है जबकि वादग्रस्त आराजी सिवायचक राजकीय भूमि है। जिस पर कानूनन रेस्पो0 को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इस बिन्दु पर भी गौर नहीं किया गया है कि विवादग्रस्त आराजी सिवायचक भूमि है जो राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2055 में सरकारी भूमि दर्ज है। इस कारण कथित विक्रेता का भूमि विक्रय करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं था एवं ना ही रेस्पो0 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार की खातेदारी प्राप्त हो सकती है। तहत न्यायालय द्वारा पारित निर्णय आदेश 20 नियम 5 जा0दी0 एवं अपीलीय न्यायालय का निर्णय आदेश 41 नियम 31 जा0दी0 के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय हैं।

अतः अपील अपीलांट् स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18-12-2003 एवं सहायक कलक्टर, नोहर मु0 भादरा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02-02-2002 निरस्त किये जाकर वादी/रेस्पो0 का दावा निरस्त किया जावे।

5- इसके विरूद्ध विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा अपीलांट् के तर्कों का विरोध करते हुए अपनी बहस में कथन किया है कि विचारण न्यायालय द्वारा वादी का वाद डिक्री योग्य होने के कारण दिनांक 02-02-2002 को डिक्री किया गया है। इसके विरूद्ध अपीलीय न्यायालय में अपील होने से उन्होंने भी अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 18-12-2003 से अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02-02-2002 को यथावत् रखा गया। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है। जिसमें द्वितीय अपील के स्तर पर कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होने के कारण अपीलांट् की अपील खारिज की जावे।

6- हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी गयी बहस पर मनन करते हुए पत्रावली का अध्ययन एवं परिशीलन किया तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों का अध्ययन किया।

7- प्रकरण में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री समवर्ती होने के बावजूद भी राजस्व मण्डल जो कि राजस्व मामलों की उच्चतर न्यायालय (Apex Court) है, के स्तर पर हस्तगत् द्वितीय अपील के माध्यम से यह देखा जाना/अभिनिर्धारित किया जाना अपरिहार्य हो जाता है कि आराजी जैर के बाबत् पक्षकारों के हक हकूकों के संबंध में वादपत्र को विधि सम्मत् तरीके से डिक्री किया गया है अथवा नहीं तथा इसी अनुरूप अपीलीय न्यायालय द्वारा भी अपील को विधिनुरूप तरीके से निर्णीत किया गया है अथवा नहीं।

पत्रावली के अवलोकन पश्चात् संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/रेस्पो0 की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर, नोहर मु0 भादरा के समक्ष वादग्रस्त आराजी का प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा कि चक 8 बी0एच0डी0 के पत्थर नं0 455/483 किला नं0 4 व 5 की 2 बीघा एवं पत्थर नं0 454/483 किला नं0 6 की 1 बीघा कुल 3 बीघा भूमि

अपील डिक्री/4035/2004/हनुमानगढ़
सरकार बनाम गोशाला भादरा

जिसको वादी द्वारा जरिये बयनामा दिनांक 19–02–1970 को खरीद की तथा वक्त खरीद से ही लगातार वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है। पूर्व में उक्त भूमि विक्रेता विश्वनाथ व रामेश्वर के कब्जे काश्त में थी। वर्तमान में उक्त भूमि चक 8 बी.एच.डी. के मु0नं0 11 किला नं0 4, 5, 6 कुल किता 3 बीघा आराजी राज सिवायचक काबिल काश्त दर्ज कर रखी है। अतः वादी को उक्त भूमि का खातेदार घोषित किया जावे। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दावे एवं जवाब दावे के आधार पर उभयपक्ष की बहस सुनते हुए अपने निर्णय दिनांक 02–02–2002 से वाद को साबित करने के लिए बयान करवाये एवं दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में जमाबन्दी एवं बयनामा की प्रति पेश की। प्रतिवादी द्वारा दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य पेश नहीं की तथा वादी द्वारा अपने वाद को पूर्णतया साबित किये जाने के कारण वादी का वाद डिक्री किया गया है।

इसके विरूद्ध अपीलांट् सरकार द्वारा अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी। जिसमें अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 18–12–2003 से प्रस्तुत बयनामा दिनांक 19–02–1970 में गौशाला भादरा द्वारा विश्वनाथ पुत्र हनुमानदास से चक 8 बी0एच0डी0 की 6 बीघा 10 बिस्वा व रामेश्वर पुत्र हनुमानदास से 6 बीघा भूमि खरीद करना साबित मानते हुए अपील खारिज की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा में भी वादग्रस्त भूमि रेस्पो0 द्वारा खरीद करना व उनके कब्जे काश्त में स्वीकार किया गया है। अपील में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य अपीलांट् द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे भूमि रेस्पो0 के कब्जे में नहीं हो। वादग्रस्त भूमि गौशाला भादरा द्वारा जरिये बयनामा खरीदशुदा है। गौशाला एक सार्वजनिक व धार्मिक संस्था है। भूमि गौशाला के ही कब्जा काश्त में होनी साबित है। दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श पी.–6 अस्थाई भूमि आवंटन में भी वर्ष 1994–95 में 3 बीघा भूमि गौशाला भादरा के नाम से टी.सी. पर भी आवंटन रही है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2055 में भूमि गलत रूप से आराजीराज दर्ज की गयी है। इसलिए अपील अपीलांट् खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02–02–2002 को यथावत् रखा गया है। इसी निर्णय दिनांक

18–12–2003 के विरूद्ध अपीलांट् द्वारा इस न्यायालय में यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है।

8– विद्वान उप राजकीय अभिभाषक अपीलांट् का बहस में मुख्य तर्क यही है कि वादग्रस्त आराजी सिवायचक भूमि है जो राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2055 में सरकारी भूमि दर्ज है। कथित विक्रेता को राजकीय सिवायचक भूमि को विक्रय करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं था एवं ना ही रेस्पो0 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत किसी प्रकार की खातेदारी प्राप्त हो सकती है। विक्रेता द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। जिससे यह साबित हो सके कि उक्त भूमि से ही मु0नं0 11 के किला नं0 4, 5 व 6 बने हो।

9– पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य भी निर्विवाद रूप से साबित है कि वादग्रस्त आराजी राजकीय भूमि है। इसको विक्रय करने का किसी को भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। इस संबंध में हमने प्रदर्श–3 बैयानामा दिनांक 19–02–1970 का अवलोकन किया। जिसमें अभिलिखित किया गया है कि विशवानाथ वल्द हनुमानाराम जाति स्वामी साकिन भादरा द्वारा आराजी पत्थर नम्बर 455/483 के किला नम्बर 3 में 1 बिस्वा व किला नम्बर 4 व 5 में 2 बीघा भूमि व अन्य प्रदर्श–4 बैयानामा रामेश्वर वल्द हनुमानदास द्वारा पत्थर नम्बर 454/483 के किला नम्बर 6 व 7 की 2 बीघा भूमि का बेचान गौशाला को किया जाना अंकित है। इस प्रकार कुल 4 बीघा 1 बिस्वा भूमि का बेचान गौशाला को किया जाना बताया है। उक्त स्थिति के विपरीत रेस्पोडेन्ट्/वादी द्वारा वादपत्र के माध्यम से मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 4, 5 व 6 के खातेदारी का अनुतोष भी चाहा है। ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि पत्थर नम्बर 455/483 के किला नम्बर 3, 4 व 5 के स्थान पर मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 4, 5 व 6 के खातेदारी अधिकार किस प्रकार प्रोद्भूत होते है? उक्त स्थिति के संबंध में वादी/रेस्पोडेन्ट् द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य यथा मिलान क्षेत्रफल अथवा सूची नम्बर 4 न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की गई है। जिससे यह जाहिर हो सके कि पत्थर नम्बर 455/483 के किला नम्बर 3, 4 व 5 के वर्तमान में मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 4, 5 व 6 पैमूद हुये हो। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्यों एवं

अपील डिक्री/4035/2004/हनुमानगढ़
सरकार बनाम गोशाला भादरा

बैयानामें में दर्शित आराजीयात् के विपरीत जाकर वादग्रस्त आराजी के खातेदारी अधिकार रेस्पोडेन्ट्/वादी को प्रदत्त किया जाना जाहिर होता है।

प्रकरण में अन्य विचारणीय प्रश्न यह भी है कि वादग्रस्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत् 2055 में सिवायचक दर्ज रिकार्ड है। ऐसी स्थिति में राजकीय भूमि के खातेदारी अधिकार नियमान्तर्गत प्रदान नहीं किये जा सकते है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उपरोक्त विधिक स्थिति एवं राजस्व रिकार्ड के विपरीत जाकर आराजी जैर का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है। जिसकी विधि अनुमति प्रदान नहीं करती है।

10- दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने सम्पूर्ण तथ्यों की अनदेखी करके अविधिक निर्णय पारित किये हैं। इसलिये जहाँ विधि और तथ्यों की जानबूझकर घोर अवहेलना हुई हो अथवा किसी पक्ष के प्रति घोर अन्याय होना परिलक्षित होता हो वहाँ अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों में भी हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक हो जाता है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विधिक प्रक्रिया का पालन नहीं करते हुए राजकीय सिवायचक भूमि पर खातेदारी अधिकार अविधिक रूप से आक्षेपित निर्णय पारित किये हैं जो कि न्यायहित में सारहीन होने से निरस्तनीय है। अपील अपीलांट स्वीकार योग्य पायी जाती है।

11- अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट् न्यायहित में **स्वीकार** की जाती है। राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18-12-2003 एवं सहायक कलक्टर, नोहर मु0 भादरा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02-02-2002 निरस्त किये जाते हैं। यदि इस क्रम में कोई इन्द्राज किये गये हो तो वह भी निरस्त कर भूमि पुनः सिवायचक दर्ज की जावे।

12- पत्रावली फैसल शुमार हो, निर्णय की सूचना कम्प्यूटर के माध्यम से प्रदान की जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गौरव बजाड़)
सदस्य

(कमला अलारिया)
सदस्य